

# बच्चे के अधिकार के साथ, उनके सम्मान की बात।



समैक्षित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की उम्र तक के कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विवादित बच्चों को संरक्षण, सहायता एवं पुनर्वास प्रदान किया जाता है।

## योजना प्राप्त करने वाले लाभार्थी



- विधि विवादित बच्चे
- निराश्रित बच्चे
- बैसहारा बच्चे
- शुभमशुद्धा बच्चे
- श्रीख मांगने वाले बच्चे
- सड़क पर निवास करने वाले बच्चे
- सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे
- देखरेख एवं संरक्षण के जस्तमंद बच्चे

किसी भी बच्चे की सुरक्षा हेतु संपर्क करें-



चाइल्ड लाइन: 1098